

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण


पत्रांक : 77/803E(संख्य-2)/जोन-1/प्रस्ताव/2016-16 दिनांक 19/02/2016


अनुमति-पत्र

यह अनुमति 2020 नगर नियोजन तथा विगत अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अंतर्गत दी जाती है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि इस भूमि से सम्बन्ध में जिस पर व्यवसायिक भवन मानचित्र प्रस्तुत किया जा रहा है, इसके किसी प्रकार का किसी स्थानीय विकास या इसका स्थानीय अधिकारी या प्रांतिय अथवा कर्म ले नाविकाना अधिकारों पर किसी का कोई अंतर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के विधिकरण या स्थापित की अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।


श्री पवन कुमार गुरगानी पुत्र स्व. विष्णु लाल गुप्तानी, श्रीमती अशिता गुरगानी पत्नी श्री पवन कुमार गुरगानी द्वारा मुख्यतः संख्या-0 विविध स्टेशन, पी होल्ड उपविभाजित मुख्यतः संख्या-0/5 इस्तिम चोक, कुरण चोक परगना व महरील-बादर जिला इलाहाबाद जोग संख्या (1) के अंतर्गत अधिष्ठित व्यवसायिक भवन मानचित्र को क्रम में विभाजित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. 2020 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15(1) के प्राधिकरणों के अनुमति पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही उपयोग/अधिनियम किया जायेगा, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 के उपविधि संख्या-2.1.8 एवं 2.1.9 में निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर पूर्णता इमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
2. यह स्वीकृति अस्थायी (Provisional) स्वीकृति को रूप में होगी। निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त सभी आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C की सही पूर्ण करने के पश्चात् विगत विधे जन्मे वाले 'पूर्णता इमाण-पत्र' प्राप्त करने के बाद ही इस परिसर के वास्तविक उपयोग में लाया जा सकेगा।
3. प्लान पर 4X3 फिट का एक बॉर्ड लगाकर अधिधिकरण उपलब्ध स्वीकृत मानचित्र सम्बन्धी विवरण अंकित करना अनिवार्य होगा, जिसमें आर्किटेक्ट/इंजीनियर को फार्म का नाम भी अंकित हो।
4. प्लान पर 02 अक्षर बड़ा लगाना होगा तथा फुल को हरा-भरा रखने का वाकिल अपेक्षालेख का होगा।
5. निर्मित किये जाने वाले भवन की संरचना सुख्य एवं गुणवत्ता का वाकिल सच्य आवेदन कर होगा।
6. अवसथान सुविधाओं के परिद्वेष में नगर अनुमति, नगर निगम द्वारा मानचित्र की स्वीकृति को क्रम में कोई विलीन देवता/इतिहास आरंभित किये जाते हैं तो प्रसंग्य गुणवत्ता/अनुपलन आवेदन को करण बहालकारी होगा।
7. प्रस्तुत मानचित्र स्टिस्ट फार्मिंग, प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय तल पर व्यवसायिक हाल के निर्माण की अनुमति हेतु है। तदनुसार ही निर्माण किया जाय एवं नियमानुसार पूर्णता इमाण-पत्र प्राप्त कर प्लान का अधिनियम/उपयोग किया जाय।
8. मननीय न्यायालय में कोई बाध होने अथवा चलान होने की स्थिति में प्रस्ताव स्वीकृति मननीय न्यायालय को विनिर्ण को अधीन होगी। यह स्वीकृति सू-स्थापित या अधिकार प्रदान नहीं करता है। सू-स्थापित सम्बन्धी कोई भी विवाद प्रमाण न्यायालय/अधिकारी द्वारा ही निस्तारित किया जा सकता है।
9. विभिन्न समय पर जारी शान्तमार्ग व नियमों का पालन करना होगा तथा प्राधिकरण यदि कोई शुल्क आरेखित करता है तो उसी प्लान को रखा करना होगा।
10. यदि आवेदन द्वारा कोई महत्वपूर्ण शुल्क विधायी गयी है अथवा गलत चुकना भी गयी है तो 2020 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 16 (b) के अंतर्गत मानचित्र निरस्त करने योग्य होगा।
11. यह स्वीकृत पत्र केवल पाँच वर्ष की अवधि के लिए है।
12. मकान निर्माण से यदि वाली के सहक की पट्टी आधाव सड़क या वाली के किसी भाग (जो मकान के आध भाग, पूरा भाग अथवा उसके आकार के कारण बक गई हो) को हानि पहुँचे तो गृहस्वामी ठीकार हो जाने पर 15 दिन के भीतर अथवा यदि विकास प्राधिकरण ने एक लिखित शुचना द्वारा और शीघ्र बहा लें पहले ही उसे अपने खर्च से नरन्त फलकार पूर्णतः अवस्था निराने विकास प्राधिकरण को संपत्ति हो प्राय, में कर देगा।
13. गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 (अधिनियम इलेक्ट्रिशियो अल 1956) विधम 82 का उल्लंघन किसी भी वसा में न होय चाहिए। यदि विकास प्राधिकरण की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह ऐसे निर्माण को रोक अथवा हटवा सकता है।
14. आवेदन को नियमानुसार विकास प्राधिकरण को मकान की नींव तक तथा छत तक बन जाने एवं उसके पूर्ण हो जाने को शुचना मकान आधाव होने से पूर्व देना होगा तथा उस आधावो का नाम भी देना होगा जिसके विरीक्षण से तबका निर्मित हुआ है।
15. यदि निर्माण में मास्टर प्लान का उल्लंघन होय प्राय यदा तो निर्मायकर्ता को ही गई स्वीकृति रर रगडो जावेगी और किना गया निर्माण अवधिकृत घोषित कर उचित अधिनियम की धारा 27 (1) के अंतर्गत कार्रवाही करण की जावेगी।



 (सुकर श्रीवास्तव)
 विवेक कार्याधिकारी



STILT FLOOR PLAN



FRONT ELEVATION




FIRST FLOOR PLAN




SECOND FLOOR PLAN




THIRD FLOOR PLAN




TERRACE PLAN



STAIR SECTION



DETAIL OF FOUNDATION



KEY PLAN (NOT TO SCALE)


SCHEDULE OF AREA	
1. TOTAL PLOT AREA	143.11 SQ.M
2. PROPOSED CO. AREA ON STILT	50.00 SQ.M
3. PROPOSED CO. AREA ON 1 ST F.F.	50.98 SQ.M
4. PROPOSED CO. AREA ON 2 ND F.F.	50.08 SQ.M
5. PROPOSED CO. AREA ON 3 RD F.F.	50.08 SQ.M
6. OPEN AREA ON G.F.	93.02 SQ.M
7. MUMTY AREA	20.99 SQ.M
8. GROUND COVERAGE	35.00% SQ.M
9. F.A.R.	1.19 SQ.M

Schedule Of Doors, Windows & Vs		
S.No.	Particular	Sizes
1.	DOORS	
	D1	1000X2400
	D2	750X2400
2.	WINDOWS	
	W5	1500X1680
3.	W3	900 X1680
	4.	VENTILATORS
	V3	900X450

NOTE- THIS IS TO CERTIFIED THAT THE MAP IS ACCORDING THE BYE LAWS & NORMS OF A.D.A. 2021, UPVIDHI 2012

PROPOSED COMMERCILA BUILDING PLAN OF PART OF NAZUL PLOT NO. CIVIL STAION FREE HOLD UPKHAND SANKHYA PART 0/5 CIVIL STATION, ELGIN ROAD AND COOPER ROAD ALLAHABAD

OWNER- SRI. PAWAN KUMAR GURNANI
S/O LATE - BISHAN LAL GURNANI AND SMT. KAVIT GURNANI
W/O SRI. PAWAN KUMAR GURNANI



SIG. OF OWNER
[Signature]

SIG. OF ARCHITECT
A. PRAMBACHAN RANI
Member of Council of Architects in
I.C.A. Regd. No. CA/1005/25009
Mca. No. 922578449